भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-959

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कृषि फीडर

†959. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

श्री तनुज पुनिया:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेबाई) के तहत मूल रूप से मूल्यांकित, स्वीकृत और वास्तव में पृथक किए गए कृषि फीडरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने गैर-कृषि ग्रामीण उपभोक्ताओं को आपूर्ति के घंटों पर अपूर्ण फीडर पृथक्करण के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जहां कार्य का आवंटन निर्धारित समय-सीमा से 12 और 24 महीने अधिक हो गया है; और

(घ) ऐसे उदाहरणों की संख्या कितनी है जहां समझौतों और राज्य के योगदान जैसी अनिवार्य पूर्व-शर्तों को पूरा करने से पहले ही धन जारी कर दिया गया था?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में 33,453 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 43,033 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डीडीयूजीजेवाई की शुरुआत की। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन, कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण और देश भर के गांवों का विद्युतीकरण करना था।

डीडीयूजीजेवाई स्कीम के तहत चिन्हित और पृथक किए गए फीडरों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	संस्वीकृत	उपलब्धि
1	बिहार	698	698
2	छत्तीसगढ़	356	205

3	गुजरात	45	0
4	हरियाणा	35	35
5	हिमाचल प्रदेश	5	5
6	जम्मू एवं कश्मीर	151	34
7	झारखंड	409	409
8	कर्नाटक	927	927
9	मध्य प्रदेश	1284	873
10	महाराष्ट्र	1077	583
11	ओडिशा	89	89
12	पंजाब	76	76
13	राजस्थान	2131	1458
14	तमिलनाडु	29	29
15	उत्तर प्रदेश	1891	1891
16	उत्तराखंड	44	44
17	पश्चिम बंगाल	585	477
कुल		**9832**	**7833**

स्रोत: नोडल एजेंसी आरईसी लिमिटेड

(ख) : डीडीयूजीजेवाई स्कीम का एक व्यापक प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया, जिसमें सभी राज्यों और अधिकांश संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। अध्ययन से पता चला है कि डीडीयूजीजेवाई के बाद गांवों में आपूर्ति घंटों में लगभग 39% सुधार हुआ है। इसके अलावा, इस सर्वेक्षण के अंतर्गत कवर किए गए 100% गांवों और उपभोक्ताओं ने आपूर्ति घंटों में सुधार की सूचना दी है।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के तहत, 33 राज्यों में कुल 673 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 154 परियोजनाओं में निर्धारित समय सीमा से 12 महीने से अधिक और 24 परियोजनाओं में 24 महीने से अधिक समय तक कार्यों के अवार्ड में देरी हुई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**राज्य**	**विलंबित परियोजनाएं >12 माह**	**विलंबित परियोजनाएं > 24 माह**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	1
2	असम	0	8
3	बिहार	2	0
4	छत्तीसगढ़	2	0
5	गोवा	2	0
6	हरियाणा	7	0
7	हिमाचल प्रदेश	10	1
8	जम्मू और कश्मीर	0	13
9	झारखंड	24	0
10	कर्नाटक	23	0

11	मध्य प्रदेश	26	1
12	महाराष्ट्र	27	0
13	मिजोरम	1	0
14	पंजाब	20	0
15	तेलंगाना	1	0
16	उत्तर प्रदेश	9	0
महा योग		**154**	**24**

स्रोत: नोडल एजेंसी आरईसी लिमिटेड

(घ) : भारत सरकार की प्रमुख स्कीम, डीडीयूजीजेवाई को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 के अंत में शुरू किया गया था। उसी वर्ष इस स्कीम के लिए बजट भी आवंटित किया गया था। इस स्कीम को ससमय शुरू करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि उन राज्यों की धनराशि जारी करने की मांगों पर विचार किया जाए, जिनकी परियोजनाओं की डीपीआर इस आश्वासन के साथ तैयार थी कि निर्धारित समय के भीतर और अगली किश्त जारी करने से पहले लक्ष्यों और शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

इसलिए, एक अपवाद के रूप में, सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से 6 राज्यों नामतः गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की विद्युत यूटिलिटी को 541 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई थी।
